

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 40/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

- 1 ना०बा० अनिता पुत्री धन्ना संरक्षक सरपस्त माता नन्दू गाडरी नि० कादीसहना तह० शाहपुरा
- 2 नन्दू पत्नी धन्ना गाडरी नि० कादीसहना तह० शाहपुरा
- 3 फूलकंवर पुत्री धन्ना गाडरी नि० कादीसहना तह० शाहपुरा
- 4-5 भंवरलाल, मुकेश पिता धन्ना गाडरी नि० कादीसहना तह० शाहपुरा
- 6 नाबालिग रामकन्या पुत्री धन्ना संरक्षक सरपस्त माता नन्दू गाडरी नि० कादीसहना तह० शाहपुरा
- 7 रामचन्द्र पिता धन्ना गाडरी नि० कादीसहना तह० शाहपुरा
- 8 नाबालिग लाली पुत्री धन्ना संरक्षक सरपस्त माता नन्दू गाडरी नि० कादीसहना तह० शाहपुरा
- 9 शंकर पिताधन्ना गाडरी नि० कादीसहना तह० शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1 महावीर पिता घीसा तेली नि० कादीसहना तह० शाहपुरा
- 2 केलाश पिता छीतर तेली नि० कादीसहना तह० शाहपुरा
- 3 न्याली देवी पत्नि रामेश्वर जाट नि० कादीसहना (डगोलिया का खेडा) तह० शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री कल्याणमल धाकड़  
अधिवक्ता प्रार्थीगण

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 12/10/2020

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीगण के ग्राम कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1446 रकबा 1.01 कुल किता 1 रकबा 1.01 हैक्टेयर हैक्टेयर का प्रार्थीगण खातेदार /संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम कादीसहना संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण खातेदार/ संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कादीसहना में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 1 रकबा 1.01 हैक्टेयर हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढी ऑफ सीजन में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 250/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/10/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक जिला भीलवाड़ा  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)



तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।